न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 107/2019

दायर तारीख 21.05.2019

अनवान

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

...........प्रार्थी

बनाम

01. सरपंच ग्राम पंचायत बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. सचिव ग्राम पंचायत बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षीगण

उपस्थित :– पैरोकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 28.05.2019

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पैरोकार तहसीलदार बिजौलियां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 1 में आराजी नम्बर 927/2 रकबा 0–15 बीघा किस्म गे.मु. मगरी खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। आराजी नम्बर 927/2 रकबा 0–15 बीघा दर्ज रेकॉर्ड नक्शा लठ्ठा में आराजी नम्बर अंकित नही होने से सुनवाई की जाकर नक्शा लट्ठा में तरमीम की जा सकेगी। पटवारी हल्का बिजौलियां कला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर वाद दिनांक 19.03.2019 को उत्पन्न हुआ। वाद पत्र राज्य सरकार की ओर से पेश होने से कोर्ट फीस से मुक्त हैं। अतः प्रस्तुत वाद पत्र में मौजा बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां के खाता संख्या 1 आराजी नम्बर 927/2 रकबा 0–15 बीघा में नक्शा लठ्ठा में सुनवाई उपरान्त नम्बर अंकित कराने का आदेश दिलाना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

विपक्षीगण सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बिजौलियां ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां के खाता संख्या 1 आराजी नम्बर 927/2 रकबा 0–15 बीघा भूमि को मूल आराजी नम्बर 927 जो कि आबादी भूमि हैं। इस भूमि में उक्त आराजी 927/2 रकबा 0–15 बीघा भूमि नक्शे में तरमीम किया जाना फरमावें। जिससे आबादी की बसावट प्रभावित हुये बिना नक्शे में तरमीम हो सकें। नक्शे में तरमीम होने से ग्राम पंचायत बिजौलियां कलां को कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रकरण का DILRMP के तहत् निस्तारण किया जाना अपेक्षित हैं। अतः दर्ज भूमि के नक्शे में तरमीम किया जाना हम उचित समझते हैं। नक्शे में तरमीम करने हेतु सरपंच/सचिव ने सहमति व्यक्त की हैं।

बहस पेरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम के आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां के खाता संख्या 1 आराजी नम्बर 927/2 रकबा 0–15 बीघा भूमि को मूल आराजी नम्बर 927 जो कि आबादी भूमि में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को सरपंच/सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित हस्तलिखित तरमीम प्रेषित की जावें। तहसीलदार इस अनुसार नक्शे में तरमीम करने की सुनिश्चितता करें।

आदेश आज दिनांक 28.05.2019 को लिखवाया जाकर सुनवाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner